

**10**

**Review, Research &  
Surveys and  
Surveillance**

## Annexure -3

### क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: मातृ मृत्यु प्रतिवेदन/समीक्षा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): मातृ मृत्यु प्रतिवेदन/समीक्षा

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 10.1.1

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :** इस कार्यक्रम अंतर्गत सभी मातायें जिनकी मृत्यु प्रसव से संबंधित जटिलताओं के कारण हो रही है, के आँकड़ें तथा मृत्यु के कारणों की समीक्षा करना आवश्यक है। मातृ-मृत्यु, संस्थागत प्रसव तथा घर दोनों में होता है। अस्पताल में होने वाली मातृ-मृत्यु ज्यादातर बड़े अस्पताल यथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल में होता है। अतः प्रारंभ में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा जिला अस्पताल से इसके आँकड़ें एकत्र करने होंगे। घरों में होने वाली मातृ-मृत्यु की जानकारी समुदाय से प्राप्त करनी होगी।

**इकाई राशि (रु० में) :** 1050/- रुपये मातृ मृत्यु प्रतिवेदन/समीक्षा

**संशोधित वित्तीय दिशा निर्देश :** (भारत सरकार के दिशा-निर्देश- Guidelines for Maternal Death Surveillance & Response)

गतिविधि	समय सीमा	Incentive/ अन्य व्यय
आशा/अन्य के द्वारा महिला (15 से 49 वर्ष) की मृत्यु की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक सूचना	मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर टेलिफोन के द्वारा	रु० 200/रिपोर्ट
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन तथा राज्य स्तर तक सूचना उपलब्ध कराना (समुदाय में मृत्यु होने पर)	टेलिफोन से मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के 24 घण्टे के भीतर	कोई राशि नहीं
Verbal Autopsy टीम के द्वारा मातृ-मृत्यु की पुष्टि तथा समुदाय स्तर पर जाँच हेतु मानदेय	मातृ-मृत्यु के तीन सप्ताह के अन्दर	प्रति व्यक्ति 150 रु० (अधिकतम तीन व्यक्तियों के लिए)
Verbal Autopsy टीम हेतु यात्रा व्यय	यात्रा के उपरान्त	रु० 200/Verbal Autopsy टीम
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा मेडिकल कालेज अस्पताल/जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन को विहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु	मातृ-मृत्यु के चार सप्ताह के अन्दर	कोई राशि नहीं
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अथवा मेडिकल कालेज अस्पताल/जिला अस्पताल के नोडल पदाधिकारी द्वारा सिविल सर्जन/जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर तक मातृ-मृत्यु की सूचना प्रेषित करने हेतु (अस्पताल में मृत्यु होने पर)	टेलिफोन से मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के उपरांत 24 घण्टे के भीतर	कोई राशि नहीं
मातृ-मृत्यु समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में) तथा मातृ-मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट का प्रेषण।	प्रत्येक माह (पिछले माह में हुई मातृ-मृत्यु हेतु)	कोई राशि नहीं
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मातृ-मृत्यु समीक्षा की बैठक का आयोजन	महीने में एक बार	मृतका के स्वजन को प्रति व्यक्ति 100 रु० की राशि (मात्र दो व्यक्तियों के लिए) तीन केस के लिए

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) मुख्य सचिव, बिहार सरकार का पत्रांक:-SHSB/MCH/37/2008/19687, दिनांक:-06.09.2010

(ख) SHSB/MCH/37/2008/26035, दिनांक:-10.05.2011

(ग) भारत सरकार का पत्रांक: M.12015/148/2011-MCH, दिनांक 14.02.2013

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम - डॉ० सरिता, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9470003004

  
Dr. SARITA  
State Programme Officer  
State Health Society

(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna

### Annexure -3

#### क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Child Death Review

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 10.1.2

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में होनेवाली शिशुओं की मृत्यु की समीक्षा की जानी है क्योंकि यह देखा गया है कि शिशुओं की मृत्यु के कारणों का पता नहीं चलता। शिशु की मृत्यु अस्पताल तथा घर दोनों में होती है। शिशु मृत्यु समीक्षा राज्य में होने वाली अधिकांश शिशु मृत्यु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिशु मृत्यु समीक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में होनेवाली कमियों को जानकर शिशुओं के मृत्यु के कारणों का पता लगाया जा सकता है। मृत्यु के कारणों का पता चलने पर पदाधिकारियों को किस स्तर पर हस्तक्षेप करना है इसका निर्णय लेने में मदद मिलेगी तथा सही समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में संस्थानों के प्रबंधकों को मार्गदर्शन मिलेगा। अतः सभी स्तरों (अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/समुदाय) पर होने वाली शिशु मृत्यु के कारणों को जानने तथा संबंधित आँकड़ों का संकलन कर समीक्षा करना अति आवश्यक है। शिशु मृत्यु समीक्षा सामूदायिक तथा संस्थान दोनों स्तरों पर होनी है।

इकाई राशि (रु० मे):

वित्तीय दिशा निर्देश :

क्र०सं०	गतिविधि	समय सीमा	Incentive / अन्य व्यय
1	आशा/आंगनवाड़ी सेविका द्वारा (जहाँ आशा चयनित नहीं है) शिशु-मृत्यु की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक अधिसूचना (फार्म-1)	मृत्यु के 24 घंटे के अंदर टेलीफोन द्वारा और 48 घण्टे के अंदर निर्धारित प्रपत्र फार्म-1 द्वारा	50 रु० प्रति रिपोर्ट
2	ए.एन.एम.द्वारा शिशु-मृत्यु की पुष्टि एवं प्रथम संक्षिप्त जाँच (फार्म-2)	दो सप्ताह के अंदर जाँच एवं एक माह के अंदर फार्म-2 में प्रा०स्वा०के० को उपलब्ध कराना।	100 रु० प्रति जाँच
3	प्रखंड स्तरीय दो सदस्यीय जाँच टीम के द्वारा समुदाय स्तर पर होने वाले शिशु मृत्यु के लिए Verbal Autopsy किया जाना	एक से दो माह के अंदर	500 रु० प्रति जाँच 250 रु० प्रति जाँच सदस्य (100 रु० यात्रा भत्ता एवं 150 रुपये

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम: डॉ० विजय प्रकाश राय, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, शिशु स्वास्थ्य, तथा श्री बिमलेश कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 9470003027 / 8544421202



### Annexure -3

### क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: **National Iodine Deficiency Disorder Control Programme (NIDDCP)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): **IDD Survey / Resurveys**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): **10.2.2**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :** NIDDCP कार्यक्रम के लिए IDD Survey/Re-survey हेतु राज्य के 08 Endemic जिलों यथा-मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पटना, मधेपुरा, दरभंगा, सारण एवं सहरसा के लिए राशि प्राप्त हुई है, जिसे चिकित्सा महाविद्यालयों के PSM विभाग के द्वारा IDD Survey में इस राशि का उपयोग की जानी है। IDD Survey में निम्न गतिविधियों की जानी है:-

जिलों में ग्राम स्तर तक IDD सर्वे करना, नमक का नमूना (Retailer, Stakeholder, Household एवं Railway Rack के Unloading स्थलों से) संग्रह कर IDD Laboratory में इसकी गुणवत्ता की जाँच करना। एवं चिन्हित जिलों में Goiter Survey करना। यह राशि Salt Sample के Collection, Transportation, Supervision, सर्वे टीम का भ्रमण एवं अल्पाहार इत्यादि में नियमानुकूल व्यय किया जाना है।

यह राशि राज्य में 04 चिकित्सा महाविद्यालयों के PSM विभागों को यथा PMCH, Patna को 02 जिले में सर्वे हेतु रू० 1,00,000/- (एक लाख) एवं ANMMCH, Gaya को 02 जिले में सर्वे हेतु रू० 1,00,000/- (एक लाख) तथा MJK / GMC, Betia & V. Medical college Pawapuri (सरकारी) को क्रमशः 02-02 जिलों में सर्वे कार्य हेतु प्रत्येक को रू० 1,00,000/- (एक लाख) की दर से राशि अनुमोदित की गई है।

**इकाई राशि (रू० में) :** रू० 50, 000/- (पचास हजार) प्रति जिले की दर से चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए

**वित्तीय दिशा निर्देश :**

New FMR Code	Name of Activity	Allocation Per Unit
10.2.2	IDD Survey / Resurveys	PMCH, Patna@50,000 X 2 Districts =1,00,000
		ANMMCH, Gaya@50,000 X 2 Districts =1,00,000
		MJK / GMC, Betia@50,000 X 2 Districts =1,00,000
		V. Medical college Pawapuri@50,000 X 2 Districts =1,00,000

नोट:- उपरोक्त गतिविधियों का व्यय स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविद्यालय के दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप नियमानुकूल व्यय किया जाना है। कार्योपरान्त विभागध्यक्ष सामुदायिक चिकित्सा विभाग (PSM) ससमय द्वारा सर्वे प्रतिवेदन, व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ IDD कोशांग में भेजना सुनिश्चित करें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० महेश कुमार सिन्हा/डॉ० नमित कुमार  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 9473197725/7488461522

(डॉ० नमित कुमार)  
वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

राज्य कार्यक्रम प्रबंधिका  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna

(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna

### Annexure -3

### क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: **National Iodine Deficiency Disorder Control Programme (NIDDCP)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): **Management of IDD Monitoring Laboratory**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): **10.4.1**

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :** NIDDCP कार्यक्रम के अंतर्गत IDD प्रयोग गाला संबंधित सामग्री/Lab Consumables/Reagents/Chemicals/Salt Sample Collection/Monitoring Supervision/ Glassware इत्यादि मद में व्यय किया जाना है। PMCH, Patna के PSM विभाग में स्थापित IDD Laboratory के द्वारा जिलों से प्राप्त नमक का नमूना प्राप्त करने में होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति PMCH, Patna के PSM विभाग द्वारा किया जाएगा।

इस हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के PSM विभाग में स्थापित IDD Monitoring Lab हेतु 50,000/- (पचास हजार) रू० की राशि अनुमोदित हुई है।

उक्त राशि का व्यय IDD प्रयोग गाला संबंधित सामग्री/Lab Consumables/Reagents/Chemicals/Salt Sample Collection/Monitoring Supervision/ Glassware इत्यादि में व्यय किया जाना है। इस हेतु PSM विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गत वर्ष प्रस्ताव दिया गया है।

**इकाई राशि (रू० में) :** रू० 50,000/- (पचास हजार) **Department of PSM, PMCH, Patna**

New FMR Code	Name of Activity	Allocation Per Unit
10.4.1	Management of IDD Monitoring Laboratory, Department of PSM, PMCH, Patna	Rs. 50,000/- For PSM Department PMCH, Patna

#### वित्तीय दिशा निर्देश :

आयोडीनयुक्त नमक का नमूना संग्रह कर उसकी गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोग गाला संबंधित सामग्री/Consumable/ Reagents/ Chemicals/ Salt Sample Collection/ Monitoring Supervision/ Lab Consumables/ Glassware का क्रय BMSICL के द्वारा निर्धारित दर पर किया जाना है। यदि आवक प्रयोग गाला संबंधित सामग्री का दर BMSICL के द्वारा निर्धारित न हो, तो वैसी स्थिति में कार्य की महत्ता एवं आवकता को देखते हुए बिहार वित्त नियमावली (संशोधित) के अनुरूप क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।


इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)


(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० महेश कुमार सिन्हा/डॉ० नमित कुमार  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : **9473197725/7488461522**

  
(डॉ० नमित कुमार)  
वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

  
राज्य कार्यक्रम अधिकारी  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

  
(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar



### Annexure -3

#### क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: सर्वजन दवा सेवन (MDA) फाइलेरिया

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Micro Filaria Survey- Lymphatic Filariasis

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 10.2.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में कार्यक्रम के पूर्व प्रत्येक जिला में चार स्थायी एवं चार अस्थायी स्थल (ग्रामीण एवं शहरी) से प्रत्येक व्यक्ति का रात्री में रक्त पट संग्रह कर उसकी जाँच करा कर उस क्षेत्र में फाइलेरिया रोग की रोग दर ज्ञात कर समीक्षा की जाती है तथा जिला स्तर पर इस रोग से ग्रसित रोगियों की खोज की जाती है।

इकाई राशि (रु० में) : 18,50,000=00

वित्तीय दिशा निर्देश : इस राशि का उपयोग सर्वजन दवा सेवन (MDA) कार्यक्रम के पूर्व जिला स्तर पर निर्धारित स्थायी एवं अस्थायी स्थल (ग्रामीण एवं शहरी) से वल्ड सर्वे हेतु सामानों का क्रय एवं कर्मचारियों (रात्री रक्त पट संग्रह करने वाले) के मानदेय, TA एवं Honorarium के भुगतान हेतु किया जायेगा । इसके लिए प्रति जिला 50000/- का एलोकेशन किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा० विपीन कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : Mo - 9334414584

Off - 0612 - 2370301

BK&mb

(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna

### Annexure -3

#### कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: सर्वजन दवा सेवन (MDA) फाइलेरिया

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Monitoring & Evaluation (Post MDA Assessment by Medical Colleges (Govt. & Private)/ICMR institutions)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर):  
10.2.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य की पूरी आबादी को फाइलेरिया रोग से सुरक्षित रखने हेतु 02 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को डी०ई०सी० की गोली (आयुवर्ग के अनुसार) तथा अलवेन्डाजोल 400 mg का एक खुराक खिलाया जाता है। यह दवा गर्भवती महिला तथा असाध्य रोग से ग्रसित लोगों को नहीं खिलाना है। यह कार्यक्रम राज्य में प्रतिवर्ष साल में एक बार चलाया जाता है। राज्य में एम०डी०ए० कार्यक्रम के संपादन के उपरांत 15 दिनों के अन्दर कार्यक्रम में उपभोग किये गये डी०ई०सी० एवं अलवेन्डाजोल दवा के प्रभाव का आकलन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा कराया जाता है।

इकाई राशि (रु० में) : 5,70,000=00

वित्तीय दिशा निर्देश : इस राशि का उपयोग सर्वजन दवा सेवन (MDA) कार्यक्रम के संपादन के उपरांत जिला स्तर पर Post MDA Assessment के लिये किया जायेगा। इसके लिए प्रति जिला 15000/- का एलोकेशन किया गया है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा० विपीन कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : Mo - 9334414584

Off - 0612 - 2370301

BKbintar

(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna



### Annexure -3

#### कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: सर्वजन दवा सेवन (MDA) फाइलेरिया

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Additional MF Survey

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 10.2.6.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

NVBDCP Delhi के द्वारा गया जिला को इस वर्ष TAS (Transmission Assessment Survey) के लिए चुना गया है जहाँ चार Sites में FTS (Filariasis Test Strips) के द्वारा फाइलेरिया का जांच किया जायेगा।

इकाई राशि (रु० में) : 70000=00

वित्तीय दिशा निर्देश : इस राशि का उपयोग गया जिला में TAS (Transmission Assessment Survey) हेतु किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा० विपीन कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : Mo - 9334414584

Off - 0612 - 2370301

BK&v19-

(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna

### Annexure -3

#### कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: सर्वजन दवा सेवन (MDA) फाइलेरिया

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): ICT Survey

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 10.2.6.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

NVBDCP Delhi के द्वारा गया जिला को इस वर्ष TAS (Transmission Assessment Survey) के लिए चुना गया है जहाँ चार Sites में FTS (Filariasis Test Strips) के द्वारा फाइलेरिया का जांच किया जायेगा। इसके उपरान्त अगर जिला PASS होता है तो School Based Survey का कार्य FTS Kit के द्वारा किया जायेगा।

इकाई राशि (रु० में) : 450000=00

वित्तीय दिशा निर्देश : इस राशि का उपयोग गया जिला में TAS (Transmission Assessment Survey) के अंतर्गत School Based Survey (ICT Survey) के लिये किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डा० विपीन कुमार सिन्हा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : Mo - 9334414584

Off - 0612 - 2370301

*for signature*

  
(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna

डेंगू एवं चिकुनगुनिया

मुख्य मलेरिया कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निदेश

कार्यक्रम का नाम: डेंगू एवं चिकुनगुनिया

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (RoP के आधार पर):  
Sentinel Surveillance Hospital Recurrent

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (RoP के आधार पर): FMR code - 10.3.1.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राज्य में डेंगू एवं चिकुनगुनिया की रोकथाम एवं उपचारात्मक उपाय हेतु राज्य के PMCH पटना, NMCH पटना, ANMMCH गया, SKMCH मुजफ्फरपुर, JLNMCH भागलपुर एवं DMCH दरभंगा Sentinel Surveillance Hospital (SSHs) के रूप में चयनित है। इस निमित्त Operational Cost के रूप में PMCH पटना, NMCH पटना, DMCH दरभंगा, JLNMCH भागलपुर, ANMMCH गया तथा SKMCH मुजफ्फरपुर को 1,00,000 रू० की दर से कुल छः लाख (600000) रू० प्रावधान किया गया है तथा राज्य स्तर पर तीन लाख (300000) रू० कर्णांकित किया गया है जिसे राज्य के SSHs के माँग के आलोक में आवंटित किया जा सकेगा।

इकाई राशि (रू० में) :

RoP में अनुमोदित कुल नौ लाख रू० में से 6 Sentinel Surveillance Hospital (SSHs) PMCH पटना, NMCH पटना, ANMMCH गया, SKMCH मुजफ्फरपुर, JLNMCH भागलपुर एवं DMCH दरभंगा को 1,00,000 रू० की दर से कुल छः लाख (600000) रू० प्रावधान किया गया है तथा राज्य स्तर पर तीन लाख (300000) रू० कर्णांकित किया गया है जिसे राज्य के SSHs के माँग के आलोक में आवंटित किया जा सकेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं०-तिथि के साथ उल्लेखित करें)-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- डॉ० एम० पी० शर्मा

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर - 09470003001



  
(Avinash Kumar Pandey)  
State Programme Manager  
State Health Society, Bihar, Patna